

Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम रायसिंहनगर

गुरदेव सिंह आदि बनाम दलवीर सिंह आदि


मुकदमा 88-188-92ए-209 आरटीएक्ट

नम्बर 54 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी 2025/118

शीख नम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
-----------	-----------------------------------	---


4 2025 वादी गुरदेव सिंह पुत्र श्री किशन सिंह जाति रायसिंह साकिन 43 पी एस तहसील रायसिंहनगर वगैरा की ओर से श्री सिकन्दर सिंह सरवना अधिवक्ता ने वाद-पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.05.2025 को पेश हो।


(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

441
15/5/25

श्री. सुभाष चन्द्र वकील वादीगण वदिए। प्रतिवादीगण वदिए नहीं। सम्मन वाद तामील जात नहीं। इन्कार वकील पत्रावली दिनांक 20.05.25 को पेश हो।

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी की किशन सिंह अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पेशी के ली गई। वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित आये। वकील वादीगण ने अपने प्रार्थना-पत्र में कंसिडर फिजलि वादीगण व प्रतिवादीगण के जाय वगैर अदालत की आज्ञा के पंचायती सचीनामा के गण है कब वादीगण उक्त प्रकरण में फिजी इजा की आगामी कार्रवाई गरी चाहते है वादीगण का वादपत्र शपथ परमाणा पाये। वादीगण एवं प्रतिवादी गण व क 2 के वारिज जतकिन्त सिंह, सपेन्स सिंह एवं सैतुह जी, लुभाष हादि आये। वादीगण के प्रार्थना-पत्र के पंचायती सचीनामा के आधार पर वादपत्र के आगामी कार्रवाई किशो की जाती है। अब प्रकरण के फिजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं। पत्रावली के लिये के मुकाम अदालत पेश हो।


सुभाष चन्द्र
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

